

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-99/2025 दिनांक 09.04.2025)
***दिनांक-09.04.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस टीम द्वारा आत्महत्या के लिये उकसाने आदि के मामले में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.04.2025 को थाना को0 पडरौना पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 650/2024 धारा 351(3), 352,108 बीएनएस व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विरेन्द्र पटेल पुत्र संतोष पटेल निवासी जंगल खिरकिया थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 650/2024 धारा 351(3), 352,108 बीएनएस व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

विरेन्द्र पटेल पुत्र संतोष पटेल निवासी जंगल खिरकिया थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री रविकुमार राय थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

2-उ0नि0 रिजवान अहमद थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

3-का0 नितीश यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने आदि के मुकदमें में एक नफर वांछित अभियुक्त तथा एक अन्य वारण्टी सहित दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये



जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.04.2025 को थाना विशुनपुरा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 052/2025 धारा 69,115(2),352,351(2) भा0न्या0सं0 में वांछित अभियुक्त सगीर अंसारी पुत्र ताहीर अंसारी निवासी लक्ष्मीपुर चौराहा थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर तथा मु0नं0 606/2020, मु0अ0सं0 150/2019 धारा 363/366/504 भादवि0 व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट से संबन्धित वारण्टी वशिष्ठ पुत्र हंसी निवासी गौरीश्रीराम झरही टोला थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 052/2025 धारा 69,115(2),352,351(2) बीएनएस थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर(वांछित)
- 2-मु0नं0 606/2020 धारा 363/366/504 भादवि व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर(वारण्टी)

गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1- सगीर अंसारी पुत्र ताहीर अंसारी निवासी लक्ष्मीपुर चौराहा थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर(वांछित)
- 2-वशिष्ठ पुत्र हंसी निवासी गौरीश्रीराम झरही टोला थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर(वारण्टी)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री राजू सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 बृजेश सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 3-उ0नि0 अश्विनी कुमार राय थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 4-का0 सोनु साह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 5-का0 धर्मेन्द्र सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त व एक अन्य वारण्टी सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.04.2025 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा 1. मु0अ0सं0 113/2025 धारा 69 बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र श्री राम सिंगार साकिन डुमरी खुर्द थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर व 2. मु0नं0 S.T.NO. 42/2022 संबन्धित धारा 128 सीआरपीसी से संबंधित



वारण्टी नन्देश्वर सिंह पुत्र सुक्खू साकिन हासंखोर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. 113/2025 धारा 69 बी0एन0एस0
2. मु0नं0 S.T.N0. 42/2022 सम्बन्धित धारा 128 सीआरपीसी

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. प्रमोद कुमार पुत्र श्री राम सिंगार साकिन डुमरी खुर्द थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर (वांछित)
2. नन्देश्वर सिंह पुत्र सुक्खू साकिन हासंखोर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर (वारण्टी)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अतुल कुमार बिन्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 गिरजेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3. कां0 शिवप्रकाश थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
4. कां0 अमित कुमार यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

थाना कुबेरस्थान पर आबकारी एक्ट के तहत 2023 व 2024 के कुल 27 मुकदमे में बरामद अवैध कच्ची शराब कुल 331.6 लीटर (कुल अनुमानित कीमत लगभग 16,550/- रुपये) को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में नष्ट किया गया-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा समस्त थाना प्रभारी को अपने-अपने मालखाने से आबकारी अधिनियम के तहत बरामद की गयी अवैध शराबों को यथाशीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में थाना कुबेरस्थान पर मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 09.04.2025 को थाना परिसर में गट्टा खुदवा कर वर्ष 2023 के 05 मुकदमों से सम्बन्धित 44 लीटर तथा वर्ष 2024 के कुल 22 मुकदमों से सम्बन्धित 287.6 लीटर अवैध कच्ची शराब कुल 331.6 लीटर अवैध कच्ची शराब (कुल अनुमानित कीमत लगभग 16,550/- रुपये) नियमानुसार नष्ट करवाया गया।



जिनके उपस्थिति में मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अवैध शराब नष्ट किया गया-

- 1- क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय जनपद कुशीनगर
- 2- सहायक अभियोजन अधिकारी श्री धवल प्रताप शाही कसया जनपद कुशीनगर
- 3- आबकारी निरीक्षक श्री दिनेश कुमार क्षेत्र पडरौना जनपद कुशीनगर
- 4- थानाध्यक्ष श्री स्वतंत्र कुमार सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
- 5- उ०नि० श्री अरविन्द सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
- 6- हे०मो० संतोष कुमार श्रीवास्तव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
- 7- का०मु० पंकज यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
- 8- का० पैरोकार प्रदीप यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 35 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-71 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु०-46, व्यक्ति-127
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(05)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-40)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

